राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / IRGY(U) / 2022–23 / 43589–839 दिनांकः 03/06/2022

1. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त राजस्थान।

2. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः—केन्द्र व राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनधारी कर्मचारियों के परिवार को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-URBAN) के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार देने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-URBAN) राज्य में ऐसे शहरी क्षेत्र में राज्य सरकार, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, इस स्कीम के अनुसार वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के लिए ऐसा कार्य उपलब्ध करायेगी।

राज्य स्कीम के अनुसार योजनान्तर्गत कोई भी शहरी परिवार जॉब कार्ड बनवाकर कार्य के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि जॉबकार्डधारी वयस्क सदस्य श्रम करने को तैयार हो। राज्य स्कीम में केन्द्र व राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनधारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्य अथवा केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यरत कर्मचारी के परिवारों के सदस्यों द्वारा योजनान्तर्गत कार्य की मांग पर कार्य उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा जॉब कार्ड जारी नहीं किये जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस बाबत् केन्द्र व राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनधारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्य अथवा केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यरत कर्मचारी के परिवारों के सदस्यों के द्वारा योजनान्तर्गत परिवार पंजीयन एवं कार्य की मांग की जा सकती है एवं उन्हें कार्य उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, बशर्ते कि वह शहरी क्षेत्र का स्थानीय निवासी होकर मानव श्रम करने हेतु तैयार हो।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही संपादित करावें।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःएफ.56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 43840–888 दिनांकः 03/06/2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
3. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
4. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
5. सुरक्षित पत्रावली।
6. क्षेत्रीय उपनिदेशक, समस्त (राज.)

03/6/22
(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

C:\Arjun\IRGY\Letter & Notesheet\Letter.DOCX